भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2669

दिनांक 16.03.2026 को उत्तर देने के लिए

दुर्लभ पृथ्वी खनिज भंडार की स्थिति और भविष्य की मांग को पूरा करने की योजनाएँ

2669. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उपलब्ध दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के अनुमानित भंडारों का खनिज-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों के लिए अगले 10-15 वर्षों में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) की अनुमानित मांग का आकलन किया है;
(ग) यदि हां, तो इस आकलन का ब्यौरा क्या है और मौजूदा घरेलू भंडार भविष्य की मांग को किस सीमा तक पूरा करने में सक्षम हैं;
(घ) क्या सरकार ने देश के भीतर दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के अन्वेषण और प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए कोई नीति या कार्यनीति तैयार की है; और
(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं या अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग सहित महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दूबे)

(क): परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जो परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक घटक इकाई है, द्वारा अनुमानित दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के संसाधन, निम्नलिखित हैं:

1) आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों में टेरी, समुद्र तट रेत और अंतर्देशीय जलोढ़ में पाए जाने वाले

13.15 मीट्रिक टन मोनाज़ाइट [थोरियम और दुर्लभ मृदा का एक खनिज] में लगभग 7.23 मिलियन टन (एमटी) स्वस्थाने कुल दुर्लभ मृदा ऑक्साइड समतुल्य (टीआरईओ के समतुल्य) शामिल है। राज्य-वार मोनाज़ाइट संसाधन इस प्रकार हैं:

राज्य	**मोनाज़ाइट (मात्रा मिलियन टन में)**
ओडिशा	3.22
आंध्र प्रदेश	4.05
तमिलनाडु	2.55
केरल	1.84
महाराष्ट्र	0.004
गुजरात	0.07
पश्चिम बंगाल	1.20
झारखंड	0.21
कुल	13.15

ii) गुजरात (1.12 एमटी) और राजस्थान (0.17 एमटी) के कुछ भागों के कठोर चट्टान क्षेत्रों में स्वस्थाने आरईई संसाधन (टीआरईओ के समतुल्य) 1.29 एमटी है।

(ख) से (घ): विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 2030 तक भारत में आरईई की मांग में लगभग 1.5 से 2 गुना की महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। जबकि भारत के पास दुर्लभ मृदा खनिजों के उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक संसाधन हैं, उनका उपयोग निरंतर गवेषण, खनन और प्रसंस्करण क्षमता के विकास और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

इस क्षेत्र में घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2025 में भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की एकीकृत दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) विनिर्माण क्षमता संस्थापित करने के लिए 7280 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ "सिंटेर्ड दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों के निर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम" अनुमोदित की है। आरईपीएम स्कीम को बेहतर बनाने के लिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है ताकि इन राज्यों के आरईई का लाभ उठाते हुए खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

(ङ): महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों (आरईई सहित) की दीर्घकालिक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा खनिज गवेषण और खनन से सज्जीकरण, प्रसंस्करण और अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए, भारत की महत्वपूर्ण

खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को अनुमोदित किया है। इसके अलावा, देश में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- घरेलू महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को बढ़ाने के लिए, जीएसआई ने देश में आरईई सहित महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों का गवेषण तेज कर दिया है। जीएसआई ने देश भर में आरईई पर 2024-25 में 78 खनिज गवेषण परियोजनाएं और 2025-26 के दौरान 93 परियोजनाएं शुरू कीं।
- खान मंत्रालय ने आरईई के 7 ब्लॉकों सहित 46 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने गवेषण अनुज्ञप्ति के 7 ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिनमें आरईई के दो ब्लॉक शामिल हैं।
- सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) करने के लिए, एनसीएमएम के तहत नौ प्रमुख संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनसीएमएम के तहत महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण (आरईई सहित) को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम अनुमोदित की है। इस स्कीम के दिशानिर्देश जारी किए गए और दिनांक 02.10.2025 को योजना शुरू की गई।
- ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों (आरईई सहित) की प्राप्ति के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिशानिर्देश दिनांक 14.11.2025 को जारी किए गए।
- सरकार ने बजट 2024-25 के दौरान, 25 खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है और दो खनिजों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) कम कर दिया है। बजट 2025-26 के दौरान, भारत सरकार ने कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के स्क्रैप को मूल सीमा शुल्क से छूट दे दी। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट का उल्लेख किया गया है।
- खान मंत्रालय के तत्वावधान में लिथियम, कोबाल्ट, आरईई आदि जैसी विदेशी खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक संयुक्त उद्यम खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) का गठन किया गया है। काबिल, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) जैसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड

(ओआईएल), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड (ओवीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) आदि के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है।

- इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को सुदृढ़ करने और खनिज संसाधन समृद्ध देशों के साथ सहयोग के लिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, जाम्बिया, पेरू जैसे कई देशों के साथ मंत्रालय ने द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं।
